अनुसूची 21—फरम सं० 113

2068

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं० 8026 dt 10/6/2019 19.....

श्री/श्रीमती Smt Sushila Sinha Late Basudeo Prasad

.....

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का संनिरसन प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में यही मैं और उससे सम्बद्ध अनुसूचियों में वर्ष 2002 to 2018-19 से वर्ष 19.....

तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला Annexure II

.....चला है अतः संपत्ति अवभार से मुक्त है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के पृ० निबंधन		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Sikandarpur P.S.O - Daraphur P.S.No - 17 Khata No - 57 Plot No - 113 Area - 14 Katha 7 dhur							

Scanned with CamScanner

...विवरण दर्ज करें।

...किसी व्यक्ति को कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। जहाँ भी उसके पते में उल्लेख हो।

...पहले की अवधि और आर्थिक लगान दर्ज करें।

...करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ कर संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार ...ज्ञात नहीं पाया है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(नाम): [illegible]

(पदनाम): UDC

तलासी संव्यवहार और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(नाम): Sheikh

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 10/6/19

अवर निबंधन पदाधिकारी दानापुर (पटना)

10/6/19

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्वेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५८ के अधीन जो व्यक्ति (बाहयीं) और अनुक्रमाणियाँ (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट दस्तावेजों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद हुई गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छुटे गये ऐसे संव्यवहारो और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

जाप संख्या 2058 दिनांक 11/6/19

आवेदक श्री Sushila Sinha W/o late Bisundeo Prasad

का जमाबन्दी/प्रमाण-पत्र द्वारा SBI, RACPC, Patna

का उनके पत्र सं.आ. ——— दिनांक 10/6/2019 के प्रसंग में आवासित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

10/6/19

Scanned with CamScanner